SHRI V. VIJAYASAI REDDY: For a dignified rehabilitation, instead of having many laws in different States across the country, there should be a uniform slum rehabilitation policy across the country. Is the Central Government contemplating to bring a law or a uniform Indian slum rehabilitation policy in this regard?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the policy enshrined in the Pradhan Mantri Awas Yojana, I believe, provides a template for those of our brothers and sisters who are living in these informal settlements through a system which can be devised either on a PPP model or otherwise. They are temporarily shifted from their present place of residence to a nearby area, provided this temporary accommodation through the builder and then *pakka* homes, which conform to the present sustainable norms for a home, which consist of a kitchen, a toilet and other basic facilities and then, the citizens are moved back into that. So, I believe, that is already a template provided in the current policy. This is my understanding that different States are following different policies. They are also jealous of safeguarding their own turf in terms of land, these issues being a State subject. But, we always write letters. I have written to all the Chief Ministers encouraging them for providing both shelters for homeless people and for *in situ* slum rehabilitation and I believe this template could evolve into something with encouragement for State Governments to pursue as well.

प्रभावकारी और पारदर्शी पुलिस प्रणाली

*33. **श्री हरनाथ सिंह यादव:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में पुलिस को कुशल तथा सक्षम बनाने तथा पुलिस की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुलिसकर्मियों द्वारा चौबीस घंटे ड्यूटी देने के बावजूद पुलिस के सिपाहियों का वेतन काफी कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्तावित पुलिस सुधारों में उनके वेतन के बारे में भी विचार करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) "पुलिस" भारत के संविधान की सातवी अनुसूची की सूची-II (राज्या सूची) के अंतर्गत राज्य का विषय है। पुलिस बल को कुशल एवं सक्षम बनाने और इसके कामकाज को

अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। केंद्र सरकार, आधुनिकीकरण के लिए निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है, विभिन्न मामलों पर एडवाइजरी जारी करती है और राष्ट्रीय मानकों एवं प्रक्रियाओं को तैयार करती है।

पुलिस कार्मिकों के लिए वेतन एवं भत्ते निर्धारित करते समय संबंधित राज्यि सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पुलिस कार्मिकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा उनके कार्य की प्रकृति पर विधिवत विचार किया जाता है।

Effective and transparent policing

†*33. SHRI HARNATH SINGH YADAV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any action plan chalked out by Government to make police efficient, capable and the functioning of police more effective and transparent in the country, if so, the details thereof;

(b) whether Government is aware of the fact that in spite of round the clock duty hours of police personnel, their salary is meagre; and

(c) if so, whether Government would consider their salary also in proposed police reforms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) "Police" is a State subject falling in List-II (State List) of the Seventh Schedule of the Constitution of India. It is primarily the responsibility of the State Governments/UT Administrations to make the police force efficient & capable and its functioning more effective and transparent. The Union Government supplements the efforts of the States by providing funds for modernisation, issues advisories on various matters, formulates national standards and procedures.

The role and responsibility of police personnel and their nature of duties is duly considered by the respective State Governments and UT Administrations while determining their salary and allowances.

†Original notice of the question was received in Hindi.

श्री हरनाथ सिंह यादव: माननीय उपसभापति जी, आज पारंपरिक अपराधों के तकनीकी अतिरिक्त अत्यंत जटिल व अनेक प्रकार के आर्थिक, समाजिक तथा तकनीकी अपराधों में वृद्धि होने के कारण पुलिस की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने हेतु पुलिसकर्मियों को सेवा के दौरान उनकी मानसिक रचना को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए उनके वेतन, आवास, स्वास्थ्यवर्धक भोजन तथा बच्चों की शिक्षा व कर्तव्यपालन के घंटे निर्धारित करने के लिए पिछले वर्षों में राज्य को अधिक धन की उपलब्धता एवं एडवाइज़री जारी करने पर विचार रही है?

श्री उपसभापति: आपने एक ही सवाल में कई सवाल पूछ लिए हैं।

श्री जी. किशन रेड्डी: सर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पुलिस ड्यूटी एक critical, एक sensitive hard profile job है। वे लोग कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। मैं देखता रहता हूं कि 364 दिनों में लगभग 360 दिन वे अपने परिवार के साथ कभी लंच नही करते हैं, डिनर नही करते हैं। वे अपने बच्चों के birthday में, बच्चों के colleges में, schools के even annual days में कभी भी नही जाते हैं। वे हर समाज के हित के लिए काम करते हैं, इसके लिए उनको बहुत कुछ काम करना जरूरी है। इस दृष्टिकोण को देखते हुए सरकार ने सुधार करने के लिए अनेक आयोग, अनेक अलग-अलग समितियों का गठन किया है। उसमें मैं बताना चाहता हूं कि National Police Commission, 1977, Ribeiro Committee on Police Reforms 1998, Padmanabhaiah Committee on Police Reforms 2000 और Justice Malimath Committee, 2002 इन चार कमेटियों का गठन हुआ था। जिस विषय पर सदस्य ने प्रश्न पूछा है, इनमें उन्ही विषय पर recommendations मांगे हैं | उन recommendations के आने के बाद फिर सरकार चार कमेटियों के जितने भी recommendations हैं, उनको कैसे implement करना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग कमेटीज़ ने अलग-अलग implement की हैं, बहुत सी recommendations की हैं। उसमें क्या हो सकता है, इसके लिए फिर एक और कमेटी, जो कि रिव्यू कमेटी है, headed by R.S. Mooshahary ने recommendations की हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व आयोग एवं समितियों की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 2004 में R.S. Mooshahary की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2005 प्रस्तुत की थी। समिति ने इन सिफारिशों को पूरा देखते हुए लगभग 49 ऐसी सिफारिशों को shortlist किया है। उनको लागू करने के लिए यूपीए सरकार में कुछ प्रयास हुए थे, मगर हमारी सरकार आने के बाद, हम उसमें ज्यादा ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें 49 recommendations को लागू करने के लिए अलग-अलग कदम उठाए हैं।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, कृपया ब्रीफ में उत्तर दें।

श्री जी. किशन रेड्डी: Assistance for police modernization के बारे में केंद्र सरकार पैसा दे रही ही है। उसके बाद-बाद अलग-अलग umbrella schemes में जम्मू-कश्मीर को और left-wing affected area, north-east affected area के लिए भी पैसा दे रहे हैं | दूसरे, उन्होंने

पुलिस मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछा है। हम पुलिस को अवॉर्ड भी दे रहे हैं। हम अलग-अलग incentives भी पुलिस को दे रहे हैं। जो स्टेट्स अच्छा काम करती हैं, जिन स्टेट्स ने 49 रिकमंडेशन्स को लागू किया है, उन स्टेट्स को हम अलग से भी पैसे दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। आप ब्रीफ में बोलिए।

श्री जी. किशन रेड्डी: मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार पूरे तरीके से अलग-अलग स्कीम्स के द्वारा - मॉडर्नाइजेशन्स के लिए, पुलिस के परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए अलग-अलग तरह से सहायता दे रही है। अगर आप इस पर पूरी चर्चा करें, तो मैं पूरी डिटेल्स देने के लिए तैयार हूं।

श्री उपसभापति: दूसरा सप्लीमेंट्री। कृपया ब्रीफ में पूछिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश भर में, पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष राज्यानुसार कितने पद खाली हैं और कानून व्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए खाली पदों को भरने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है या नही है?

श्री उपसभापति: धन्यवाद। कृपया माननीय मंत्री जी ब्रीफली जवाब दीजिए।

श्री जी. किशन रेड्डी: सर, यदि वैकेंसीज़ की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट्स में लगभग 25,95,435 पुलिस की सैंक्शन्ड पोस्ट्स थी, उनमें से लगभग 5,28,65 वैकेंसीज़ हैं। हम बार-बार केन्द्र सरकार के द्वारा एडवाइज़री जारी कर रहे हैं, उनको सूचना भी दे रहे हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं, उनमें पुलिस की भर्ती करें। यह बहुत जरूरी है और इसके लिए हम लगातार एडवाइज़री जारी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगभग 20,67,270 है, स्टेट गवर्नमेंट की पैरा मिलिट्री भी 99,948 है। इसी साल में स्टेट गवर्नमेंट ने एक लाख एडिशनल पुलिस फोर्स अलग-अलग स्टेट्स में रिक्रूट किए हैं।

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister that after the two universities, Jamia and JNU, have been attacked, how many FIRs have been registered and what the status of investigation in those cases is. I also want to know as to how many culprits have been arrested, and, if not, why there is a delay in arrests.

श्री जी. किशन रेडी: उपसभापति महोदय, यह सवाल अलग है, इसलिए आप अलग से इस विषय को उठाइए। मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री उपसभापति: यह सवाल इससे रिलेटिट नही है। श्रीमती कहकशां परवीन।

श्री जी. किशन रेड्डी: सर, मैं convey भी करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन: सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। पुलिस राज्य का विषय है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि केन्द्र सरकार आधुनिकीकरण के लिए निधि प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि आज के तकनीकी युग में सोशल मीडिया द्वारा हो रहे अपराध को नियंत्रित करने के लिए क्या हमारी पुलिस पूरी तरह से सक्षम और प्रशिक्षित है?

†**محترمہ کہکشاں پروین:** سر، بہت بہت شکریہ، پولیس راجیہ کا موضوع ہے۔ ماننیے منتری جی نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ مرکزی سرکار جدیدکاری کے لیے نِدھی پردان کرکے راجیوں کے پرلیسوں میں سہیگ کرتی ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے ماننیے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج کے تکنیکی دور میں سوشل میڈیا کے ذریعہ ہورہے اپرادھ کو قابومیں کرنے کے لیے کیا ہماری پولیس پوری طرح سے سکشم اور پرشکشِت ہے؟

श्री जी. किशन रेड्डी: जी। सांसद महोदया ने जो सवाल पूछा है, इसके लिए अलग-अलग काम केन्द्र सरकार की ओर से हो रहे हैं। उसके लिए Interoperable Criminal Justice System को और दूसरे National Database on Sexual Offenders System को अलग-अलग तरीके से CCTNS द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जितने भी क्राइम होते हैं, अलग-अलग पोस्ट्स की जाती हैं, इनको रोकने के लिए, white-collar crimes रोकने के लिए अलग-अलग टेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स को लगातार मीटिंग्स में बुलाकर, DGs को मीटिंग्स में बुलाकर टेक्नोलॉजी देने के लिए, अपडेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक BPR&D है और Police Modernisation Division होम मिनिस्ट्री में है। वह समय-समय पर अलग-अलग स्टेट्स को - जो भी टेक्नोलॉजी हम दुनिया भर से लाते हैं, वह टेक्नोलॉजी हम उनको देते हैं। आदरणीय सांसद महोदया ने पूछा है कि क्राइम रोकने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, उसके लिए लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती है। मेरे पास उन सबकी सूची है।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्री आनन्द शर्मा जी।

श्री आनन्द शर्मा: माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान पहले प्रश्न के भाग 'ए' की तरफ ले जाना चाहता हूं। उसमें जो उत्तर दिया गया है, उसमें एक त्रुटि है। मंत्री महोदय ने कहा है कि "पुलिस बल को कुशल एवं सक्षम बनाने और इसके कामकाज को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की होती है। " जहां तक राज्य और UT administration में पुलिस में सुधार की बात है, तो UT administration में दिल्ली है, बाकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हैं, अंडमान और निकोबार हैं। ये सारे के सारे केन्द्र के तहत आते हैं।

†Transliteration in Urdu script.

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार यूनियन टेरिटरीज़ में पुलिस में सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या केन्द्र सरकार राज्यों के साथ बात करके, जो पहले की कमेटीज की सिफारिशें हैं, उन्हें लागू करेगी? क्योंकि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भी केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आती है, उन कमेटियों की सिफारिशों को लागू करने के बारे ये क्या कदम उठा रहे हैं? उन कमेटीज की जो सिफारिशें हैं, क्या उनके बारे में राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुलाकर एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाएंगे, ताकि हमारी पुलिस के पास भी बड़े देशों की तरह सुविधाएं हों, फिर वे सुविधाएं चाहे technical upgradation की जरूरत के बारे में हों, चाहे जो नई-नई तकनीक आ रही हैं, उनके बारे में हों और बड़े देशों के अंदर जो सुविधाएं पुलिस के पास हैं, वे हमारे देश में भी पुलिस के पास हों, फिर चाहे वह केन्द्र शासित क्षेत्र हों या राज्य, उनकी पुलिस के पास भी वे सुविधाएं उपलब्ध हो सकें?

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय उपसभापति जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने UTs as well as State Government, advisories दी हैं। FIRs में कैसे काम करना चाहिए, comprehensive approach towards crime against women कैसी होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को CCTV cameras के विषय में क्या करना चाहिए, cyber crime prevention को कैसे control करना चाहिए आदि के बारे में केन्द्र सरकार ने अलग-अलग advisories दी हैं। उसके साथ-साथ केन्द्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पुलिस विभाग को पैसे भी दे रही है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य की सलाह को मानता हूं और चारों कमेटीज की रिपोर्ट्स के ऊपर हमने जिन 49 issues को recognize किया है, उनके बारे में कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में, मैं आने वाले दिनों में हर राज्य के गृह मंत्री की अलग-अलग मीटिंग बुलाकर बात करूंगा, क्योंकि इस बारे में सरकार पहले से ही प्लान कर रही है। हम CrPC और IPC एक्ट में भी बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस विषय में जरूर होम मिनिस्टर्स से बातचीत करेंगे। केन्द्र सरकार देश के प्रदेश के गृह मंत्रियों से बातचीत करके एक अच्छा और नया police system देश में लाने के लिए प्रयास करेगी।

महोदय, हम आज देख रहे हैं कि देश में सभी जगह जो भी ऐसे काम होते हैं, उनमें पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि पुलिस बहुत काम करती है और बहुत मेहनत से देश में काम करती है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता है। देश में पुलिस के खिलाफ सभी लोग बोलते रहते हैं।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, कृपया Briefly जवाब दीजिए।

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय उपसभाति जी, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस एक critical position में काम कर रही है और उनके welfare के लिए हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। हमारी सरकार के आने के बाद पुलिस की welfare activity के लिए अलग-अलग कदम उठाए गए हैं और Central Police की age भी अब CRPF में 60 वर्ष कर दी गई है।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या 341